न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 32/अपील/2024 (GCMS No. 2024/98)	08.07.2024	18.11.2025

1. कल्याण आ. स्व.रामा जाति भील (मृतक जर्ये कायम मुकाम) –
   1/1 श्रीमती रूपा बाई पत्नी स्व.कल्याण जाति भील निवासी भवानीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
   1/2 श्रीमती दुर्गा बाई पुत्री स्व.कल्याण जाति भील निवासी भवानीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. लटूर पुत्र स्व. रामा जाति भील, निवासी भवानीपुरा जिला बून्दी।

– अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती कन्याबाई पत्नी स्व. भीम सिंह जाति भील निवासी भवानीपुरा
2. नेहना आ. स्व. भीम सिंह जाति भील नि. भवानीपुरा तहसील तालेडा
3. गीता बाई पुत्री स्व. भीम सिंह जाति भील नि0 भवानीपुरा
4. नेहनी बाई पुत्री स्व. भीम सिंह जाति भील नि0 भवानीपुरा
5. ललती बाई पुत्री स्व. भीम सिंह जाति भील नि0 भवानीपुरा
6. इन्द्रा पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी सूतडा, तहसील तालेडा
7. कन्याबाई पुत्री माता भूली बाई जाति भील निवासी नयाबरधा, तहसील तालेडा
8. कमली बाई पत्नी स्व. प्रभु जाति भील निवासी गणेशपुरा, तहसील तालेडा
9. कांती बाई पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी सूतडा, तह. तालेडा
10. खेमा पुत्र माता शंकरी बाई पत्नी स्व. देवा जाति भील निवासी ग्राम गुढा, तहसील हिण्डोली **(मृतक जर्ये कायम मुकाम)** –
    10/1 पेमालाल आ. स्व. खेमा जाति भील नि0 गुढा, तह. तालेडा
    10/2 विजय आ. स्व. खेमा जाति भील नि0 गुढा, तह. तालेडा
    10/3 मंजू बाई पुत्री स्व. खेमा जाति भील नि0 गुढा, तह. तालेडा
    10/4 श्रीमती लीला पुत्री खेमा जाति भील निवासी गुढा,तह.तालेडा

जिला कलक्टर, बून्दी

11. कान्हा आ. नन्दा जाति भील निवासी सूतडा, तहसील तालेडा
(मृतक जर्ये कायम मुकाम) –
11/1 भरत आ. स्व. कान्हा जाति भील नि0 सूतडा, तह. तालेडा
12. खानी बाई पुत्री भंवरलाल जाति भील निवासी सूतडा, तह. तालेडा
13. गायत्री बाई पुत्री माता जमना पत्नी स्व. पांचू नि0 सूतडा
14. गोपाल पुत्री माता जमना पत्नी स्व. पांचू
(मृतक जर्ये कायम मुकाम)
14/1 पप्पू आ. स्व. गोपाल जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
14/2 गीता बाई पुत्री स्व. गोपाल जाति भील नि. सूतडा
15. चौथमल आ. भैरूलाल जाति भील निवासी सूतडा, तह. तालेडा
16. जगदीश पुत्र माता जमना पत्नी स्व. पांचू जाति भील नि. सूतडा
17. जमको पुत्री माता भूली बाई जाति भील नि0 नयाबरधा, तह. तालेडा
18. झजिया आ. भैरूलाल जाति भील निवासी सूतडा, तह. तालेडा
19. झमकु पत्नी स्व. भैरूलाल जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
20. झमकू पुत्री माता जमना पत्नी स्व. पांचू जाति भील नि. सूतडा
21. डाली बाई पुत्री नन्दा जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
22. नन्दू बाई पुत्री भवाना जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
23. नानूराम आ. माता जमना पत्नी स्व. पांचू जाति भील नि. सूतडा
24. पानाबाई पुत्री नन्दा पत्नी भंवरलाल जाति भील निवासी डबूसर, तहसील तालेडा **(मृतक जर्ये कायम मुकाम)–**
24/1 मांगीलाल आ. स्व. भंवरलाल (माता पाना बाई) जाति भील निवासी डबूसर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
25. फोरीबाई पुत्री भैरूलाल जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
26. बरदा आ. भवाना जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
27. बसंती बाई पुत्री शांति बाई पत्नी स्व. गोपाल जाति भील नि. सूतडा
28. बिलू बाई पुत्री भंवरलाल जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
29. मंजू बाई पुत्री भंवरलाल जाति भील नि. सूतडा, तह. तालेडा
30. मोतीशंकर पुत्र माता भूलीबाई जाति भील नि. नयाबरधा, तह. तालेडा
31. रूकमा बाई पुत्री रामा जाति भील नि. गुंवार, तह. तालेडा
32. राजू पुत्र माता जमना बाई पत्नी स्व. पांचू जाति भील नि. सूतडा
33. राजेश आ. प्रभु जाति भील निवासी गुढा, तह. तालेडा
34. राजी बाई पुत्री भंवरलाल जाति भील नि. सूतडा तह. तालेडा
35. रामेश्वर पुत्र माता भूलीबाई जाति भील नि. नयाबरधा तह. तालेडा
36. सुगना पुत्री माता शंकरी बाई जाति भील निवासी गुढा, तह. तालेडा
37. सीमा पुत्री माता शांति बाई पत्नी स्व. गोपाल जाति भील निवासी रोजा का तालाब, तह. तालेडा
38. सोहनलाल पुत्र माता जमना बाई पत्नी स्व. पांचू जाति भील निवासी सूतडा तह. तालेडा

जिला कलक्टर, बून्दी

39. हंसराज पुत्र माता शांति बाई पत्नी स्व. गोपाल जाति भील निवासी रोजा का तालाब, तहसील तालेडा
40. छीतर आ. प्रभुलाल जाति भील निवासी सूतडा, तह. तालेडा
41. रामदेवा आ. प्रभुलाल जाति भील निवासी सूतडा, तह. तालेडा
42. सुगना बाई पुत्री प्रभुलाल जाति भील निवासी सूतडा, तह. तालेडा
43. सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)
44. सरकार जर्ये नायब तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री वहीद अहमद शेख, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5, 8, 15, 18, 33, 40 से 42 की ओर से श्री प्रमोद कुमार सेन।
रेस्पो.सं.6,7,9,12,13,16 लगायत 20, 23,25, 27 लगायत 31, 34,35,38 की ओर से श्री राजकुमार गौत्तम एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं. 11/1 की ओर से श्री नफीसु रहमान, एडवोकेट।
शेष रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं।
रेस्पोडेन्ट सं. 43, 44 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 285 दिनांक 26.06.2023 ग्राम भवानीपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार रामा आ. भज्जा जाति भील निवासी भवानीपुरा के फोत हो जाने पर वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 32/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/98 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अपीलांटस की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम मृतक रेस्पो.सं. 10, 11, 14, 24 पेश किया गया। बाद सुनवाई उभयपक्ष प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक रेस्पो.सं. 10, 11, 14, 24 के वारिसान को अपील में कायम मुकाम बनाया गया। दौराने कार्यवाही अपीलांट सं.1 कल्याण का देहान्त हो जाने से उसके वारिसान को अपीलांट सं.1/1, 1/2 पर कायम मुकाम बनाया गया। अपीलांटस की ओर से दिनांक 29.09.2025 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खतौनी सं. 36 की भूमि खसरा सं. 117 रकबा 0.5747 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 58 रकबा 0.8498 हैक्टेयर, खसरा सं. 81 रकबा 0.5180 हैक्टेयर किता तीन कुल रकबा 1.9425 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 68 की भूमि खसरा सं. 409/202 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा सं. 410/202 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किता दो कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर वाकेग्राम भवानीपुरा, तहसील तालेडा में स्थित है, उक्त कृषि भूमि अपीलांटस के पिता रामा पुत्र भज्जा को राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर मौके पर कब्जा स्वीकृत किया था। रामा का स्वर्गवास दिनांक 05.08.2010 को एवं उसकी पत्नी नन्दूबाई का सन 2012 को स्वर्गवास हो चुका है। रामा जी के 03 लडके अपीलांट कल्याण, लटूर एवं तीसरा पुत्र भीमसिंह हुआ था, जिसमें से भीमसिंह का दिनांक 19.11.2008 को रामा से पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, मृतक पुत्र भीमसिंह की पत्नी कन्याबाई, एक पुत्र नहना एवं तीन पुत्रिया गीताबाई, नहनीबाई, ललतीबाई है। स्वर्गीय रामा जी के दो पुत्र तथा मृतक पुत्र भीमसिंह की पत्नी एवं पुत्र के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। खातेदार रामा के स्वर्गवास के उपरांत उसके खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का फौती नामान्तरकरण सं. 285 दिनांक 26.06.2023 को तस्दीक किया गया, जो बिना जांच किए ही रेस्पो.सं. 6 लगायत 42 के नाम तस्दीक कर दिया गया। जबकि रेस्पो.सं. 6 लगायत 42 ग्राम **सूतडा** के निवासी है जो स्वर्गीय खातेदार रामा पुत्र भज्जा निवासी **भवानीपुरा** के वारिस नहीं है और न ही उनका खातेदार रामा पुत्र भज्जा से कोई संबंध है। उक्त फौती नामान्तरकरण सं.285 तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वर्गीय रामा आ. भज्जा के सही वारिसान की जांच नहीं की गई और न ही अपीलांटस को कोई सूचना दी गई। अपीलांटस स्वर्गीय रामा पुत्र भज्जा के खाते की उक्त कृषि भूमि पर उनके स्वर्गवास के समय ही काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा वर्तमान में भी अपीलांटस का ही कब्जा काश्त है। मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर पत्थर का कोट लगा रखा है। इसके बावजूद तहसीलदार तालेडा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मौका स्थिति की जांच नहीं की गई। वास्तव में अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 5 ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामा पुत्र भज्जा भील निवासी भवानीपुरा के वास्तविक उत्तराधिकारी है। माह जून,2024 अपीलांटस को उक्त विवादित नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की नकल के लिए आवेदन किया तथा नकल दिनांक 23.06.24 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति से अन्दर अवधि पेश है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामा.सं. 285 निरस्त फरमाया जाकर रामा पुत्र भज्जा के असली वारिसान अपीलांटस एवं रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 के नाम फौती नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि खातेदार रामा के देहान्त के बाद अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण उसके वारिसान के पक्ष में खोला गया है। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही थी। अपीलांटस द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण मियाद बाहर है, जो मियाद के बिन्दू पर ही खारिज होने योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि इस मामले में जो फोती नामान्तकरण खोला गया है वह विरासत के आधार पर मृतक खातेदार रामा के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी जांच की जाकर बाद जांच तस्दीक किया गया है, जो कानून सम्मत है। अपीलांटस द्वारा ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे वे खातेदार मृतक रामा के विधिक वारिसान साबित हो सकें। यदि वे अपने को खातेदार मृतक रामा के विधिक वारिस मानते है तो उनको इसके लिए सक्षम न्यायालय में अधिकार घोषणा का दावा करना चाहिए था, क्योंकि दावें में ही गहन जांच एवं साक्ष्यों से यह साबित हो सकेगा कि उक्त आराजी का असली स्वामी कौन है। यह बिन्दू नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम भवानीपुरा की आराजी वादग्रस्त आराजी रामा पिता भज्जा जाति भील निवासी भवानीपुरा की खातेदारी की भूमि है। खातेदार रामा पिता भज्जा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान तीन पुत्र कल्याण, लटूर, स्वर्गीय भीमसिंह व दो पुत्रियां छोटाबाई व कन्याबाई (अविवाहित फोत) एवं पत्नी नन्दूबाई (फोत) है। मृतक भीमसिंह के विधिक वारिसान एक पुत्र नानूराम व तीन पुत्रियां गीता, नाहनी व ललती एवं पत्नी कन्याबाई है। उक्त भूमि पर मौके पर मृतक रामा पिता भज्जा भील निवासी भवानीपुरा के विधिक वारिसान के कब्जे में होकर काश्त करते चले आ रहे है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 26.06.2023 की दिनांक 23.06.2024 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर दिनांक 02.07.2024 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलेक्टर, बूंदी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम भवानीपुरा, तहसील तालेडा के खाता संख्या 36 एवं 68 में स्थित कृषि भूमि का खातेदार रामा पुत्र भज्जा जाति भील निवासी भवानीपुरा दर्ज रेकार्ड था। खातेदार रामा आ. भज्जा के फोत हो जाने पर उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण सं. 285 दिनांक 30.06.2023 वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि अपीलांटस मृतक खातेदार रामा पुत्र भज्जा भील निवासी भवानीपुरा के विधिक उत्तराधिकारी होने के बावजूद उक्त आराजी पर अन्य ग्राम सूतडा के अन्य व्यक्ति रामा के वारिसान के पक्ष में फोती नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जो निरस्त किया जावे।

अपीलांटस की ओर से पत्रावली पर रामा पुत्र भज्जा जाति भील निवासी भवानीपुरा का मृत्यु प्रमाण पत्र, भीमसिंह पुत्र रामा जाति भील निवासी भवानीपुरा का मृत्यु प्रमाण पत्र, कल्याण पुत्र रामा भील निवासी भवानीपुरा, लटूर पुत्र रामा भील निवासी भवानीपुरा के आधार कार्ड की छायाप्रतियां पेश की गई। इसी प्रकार अभिभाषक रेस्पो. द्वारा भी रेस्पोडेंटस के आधार कार्डस की छायाप्रतियां पेश की गई।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांटस द्वारा उनको सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिये जाने की आपत्ति प्रकट की गई है तथा रेस्पोडेंटस की ओर से प्रत्यत्तुर में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे अपीलाधीन आदेश हितबद्ध पक्षकारान की सुनवाई की जाकर पारित किया जाना प्रकट हो। ऐसे में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार रामा भील निवासी भवानीपुरा का विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व उसके विधिक वारिसान की समुचित जांच एवं उनको सुनवाई का अवसर दिये जाने का अभाव पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार रामा भील निवासी भवानीपुरा के विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामा.सं. 285 स्वीकृत दिनांक 30.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि मृतक खातेदार रामा पुत्र भज्जा भील निवासी भवानीपुरा के विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई व साक्ष्य पेश करनेका समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी